नियम 117 : माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाना

जब कभी अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय के विरुद्ध की गई अपील या अन्य कार्यवाही में माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम या अंतिम आदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत अध्यक्ष और सदस्यों की उसी पीठ के समक्ष सूचनार्थ रखा जाएगा और संबंधित केस फाइल में रखा जाएगा तथा रजिस्ट्रार का ध्यान अनुपालन हेतु अपेक्षित निर्देशों की ओर तत्काल आकर्षित किया जाएगा।